

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

तीसरा प्रतिवेदन

(11.02.2021 को प्रस्तुत किया गया)

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर यह तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

2. समिति की बैठक 10 फरवरी, 2021 को हुई।

3. समिति ने पांच सदस्यों के बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति संबंधी आवेदनों पर विचार किया। इन आवेदनों और समिति द्वारा की-गई-सिफारिशों का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है।

रवनीत सिंह

सभापति,

सभा की बैठकों से सदस्यों की
अनुपस्थिति संबंधी समिति।

नई दिल्ली:

दिनांक: 10 फरवरी, 2021

21 माघ, 1942 (शक)

परिशिष्ट

(प्रतिवेदन का पैरा 3 देखिए)

क्रम सं०	अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले सदस्य का नाम	आवेदन की तिथि	आवेदित अवधि	अनुमति मांगने के कारण	वह अवधि जिसके लिए समिति द्वारा अनुपस्थिति की अनुमति की सिफारिश की गई
1.	श्री मोहम्मद आजम खान	10.09.2020 और 19.09.2020	02.03.2020 से 23.03.2020 = 22 दिन और 14.09.2020 से 23.09.2020 = 10 दिन कुल = 32 दिन	कारागार में निरुद्ध	02.03.2020 से 23.03.2020 = 22 दिन और 14.09.2020 से 23.09.2020 = 10 दिन कुल = 32 दिन
2.	श्री अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय	23.09.2020 और शून्य (दिनांक 02.02.2021 को प्राप्त किया)	14.09.2020 से 23.09.2020 = 10 दिन 29.01.2021 से 13.02.2021 = 16 दिन और 08.03.2021 से 08.04.2021 = 32 दिन कुल = 58 दिन	कारागार में निरुद्ध	14.09.2020 से 23.09.2020 = 10 दिन 29.01.2021 से 13.02.2021 = 16 दिन और 08.03.2021 से 08.04.2021 = 32 दिन कुल = 58 दिन
3.	श्री संजय शामराव घोत्रे, (राज्य मंत्री)	20.01.2021	29.01.2021 से 13.02.2021 = 16 दिन कुल = 16 दिन	स्वयं की बीमारी	29.01.2021 से 13.02.2021 = 16 दिन कुल = 16 दिन
4.	श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद	27.01.2021	29.01.2021 से 13.02.2021 = 16 दिन कुल = 16 दिन	स्वयं की बीमारी	29.01.2021 से 13.02.2021 = 16 दिन कुल = 16 दिन
5.	श्री श्रीधर कोटागिरी	01.02.2021	29.01.2021 से 13.02.2021 = 16 दिन कुल = 16 दिन	स्वयं की बीमारी	29.01.2021 से 13.02.2021 = 16 दिन कुल = 16 दिन